

“मजबूत लोकतन्त्र—सबकी भागीदारी”

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-५७

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश

विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर Sh. Ravi Kumar S/o Sh. Pyare Lal R/o Village Dakdi, Post Office and Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh-174021 को निर्वाचन विभाग में चपड़ासी के पद पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक दरों के अनुरूप दैनिक वेतन भोगी आधार पर (on daily wages) नियुक्ति की पेशकश (offer) प्रदान की जाती है। इस नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हें मण्डी जिला संवर्ग के अधीन उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, थुनाग में चपड़ासी के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापित किया जाता है।

इस नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी:-

- i विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला संवर्ग है। परिणामतः मण्डी जिला संवर्ग में नियुक्ति के फलस्वरूप कर्मचारी का स्थानान्तरण मण्डी जिला संवर्ग से किसी दूसरे जिला संवर्ग के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।
- ii यह नियुक्ति पूर्णतया कर्मचारी के कार्य एवं आचरण पर भी निर्भर करेगी। यदि सेवा के दौरान कर्मचारी का कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक एवं अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, तो उसे उसी समय सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
- iii यदि कर्मचारी को अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- iv चयनित अभ्यर्थी को सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- v अगर विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि उसके एक से अधिक पत्नियां नहीं हैं।
- vi भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।
- vii अभ्यर्थी को चपड़ासी के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां व सचरित्रता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जोकि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, भी प्रस्तुत करना होगा।
- viii यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुईं तो उन्हें किसी भी समय, बिना किसी भुगतान के, सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्रवाई जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।
- ix यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त इत्यादि के सत्यापन पर भी निर्भर करेगी।
- x उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवाएं सरकार की प्रचलित दैनिक वेतन भोगी नीति के अधीन नियन्त्रित होंगी।
- xi इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

यदि उक्त चयनित अभ्यथी को ऊपरवर्णित निबन्धन एवं शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वह इन आदर्शों के जारी होने से 21 दिनों के भीतर दर्शाए गए कार्यालय में चपड़ासी के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त यह नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे तथा पैनल में रखे गए अगले चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति की पेशकश प्रदान कर दी जाएगी।

आदेश से,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-47
प्रतिलिपि प्रेषित है:-

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), मण्डी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह उक्त अभ्यर्थी द्वारा चपड़ासी के पद का कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना इस विभाग को भेजें। उक्त कर्मचारी का वेतन लेखा शीर्ष "2015-निर्वाचन (गैर योजना) दत्तमत-102-निर्वाचन अधिकारी-01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उनके कर्मचारी वर्ग के मानक "मजदूरी" के अधीन ऊपरवर्णित कार्यालय हेतु स्वीकृत चपड़ासी के पद के विपरीत आहरित किया जाएगा।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को उनके पत्र संख्या: SEC(F)1-20/2020-206, दिनांक 04-01-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. जिला कोषाधिकारी, मण्डी को सूचनार्थ।
4. उक्त अभ्यर्थी को उनके ऊपरवर्णित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचनार्थ।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

“मजबूत लोकतन्त्र—सबकी भागीदारी”

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

संख्या: 5-6/2017-ईएलएन. -48

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश

विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर Miss Payal D/o Sh. Naresh Kumar R/o VPO Dimmi, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur, Himachal Pradesh-177025 को निर्वाचन विभाग में चपड़ासी के पद पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक दरों के अनुरूप दैनिक वेतन भोगी आधार पर (on daily wages) नियुक्ति की पेशकश (offer) प्रदान की जाती है। इस नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हें लाहौल-स्पिति जिला संवर्ग के अधीन उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, काज़ा में चपड़ासी के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापित किया जाता है।

इस नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी:—

- i विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला संवर्ग है। परिणामतः लाहौल-स्पिति जिला संवर्ग में नियुक्ति के फलस्वरूप कर्मचारी का स्थानान्तरण लाहौल-स्पिति जिला संवर्ग से किसी दूसरे जिला संवर्ग के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।
- ii यह नियुक्ति पूर्णतया कर्मचारी के कार्य एवं आचरण पर भी निर्भर करेगी। यदि सेवा के दौरान कर्मचारी का कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक एवं अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, तो उसे उसी समय सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
- iii यदि कर्मचारी को अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- iv चयनित अभ्यर्थी को सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- v अगर विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि उसके एक से अधिक पति नहीं है।
- vi भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।
- vii अभ्यर्थी को चपड़ासी के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां व सचरित्रता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जोकि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, भी प्रस्तुत करना होगा।
- viii यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुईं तो उन्हें किसी भी समय, बिना किसी भुगतान के, सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्रवाई जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।
- ix यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त इत्यादि के सत्यापन पर भी निर्भर करेगी।
- x उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवाएं सरकार की प्रचलित दैनिक वेतन भोगी नीति के अधीन नियन्त्रित होंगी।
- xi इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

यदि उक्त चयनित अभ्यर्थी को ऊपरवर्णित निबन्धन एवं शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वह इन आदर्शों के जारी होने से 21 दिनों के भीतर दर्शाए गए कार्यालय में चपड़ासी के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त यह नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे तथा पैनल में रखे गए अगले चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति की पेशकश प्रदान कर दी जाएगी।

आदेश से,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: 5-6/2017-ईएलएन- 48
प्रतिलिपि प्रेषित है:-

दिनांक: 12 जनवरी, 2021

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), लाहौल-स्पिति स्थित केलंग को सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति स्थित काज़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह उक्त अभ्यर्थी द्वारा चपड़ासी के पद का कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना इस विभाग को भेजें। उक्त कर्मचारी का वेतन लेखा शीर्ष "2015-निर्वाचन (गैर योजना) दत्तमत-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उनके कर्मचारी वर्ग पर व्यय के मानक "मज़दूरी" के अधीन ऊपरवर्णित कार्यालय हेतु स्वीकृत चपड़ासी के पद के विपरीत आहरित किया जाएगा।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को उनके पत्र संख्या: SEC(F)1-20/2020-206, दिनांक 04-01-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
4. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप मण्डलाधिकारी (नागरिक), काज़ा को सूचनार्थ एवं तत्सम कार्रवाई हेतु।
5. कोषाधिकारी, उप कोषागार, काज़ा को सूचनार्थ।
6. उक्त अभ्यर्थी को उनके ऊपरवर्णित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचनार्थ।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

“मजबूत लोकतन्त्र—सबकी भागीदारी”

**निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009**

संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-49

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश

विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर Miss Monika Manta D/o Sh. Shyam Lal R/o House No. 204, Ward No. 1, Pipti (Dugiriuny), Post Office & Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh-172001 को निर्वाचन विभाग में चपड़ासी के पद पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक दरों के अनुरूप दैनिक वेतन भोगी आधार पर (on daily wages) नियुक्ति की पेशकश (offer) प्रदान की जाती है। इस नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हें लाहौल-स्पति जिला संवर्ग के अधीन जिला निर्वाचन कार्यालय, लाहौल-स्पति स्थित केलंग में चपड़ासी के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापित किया जाता है।

इस नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी:-

- i विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला संवर्ग है। परिणामतः लाहौल-स्पति जिला संवर्ग में नियुक्ति के फलस्वरूप कर्मचारी का स्थानान्तरण लाहौल-स्पति जिला संवर्ग से किसी दूसरे जिला संवर्ग के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।
- ii यह नियुक्ति पूर्णतया कर्मचारी के कार्य एवं आचरण पर भी निर्भर करेगी। यदि सेवा के दौरान कर्मचारी का कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक एवं अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, तो उसे उसी समय सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
- iii यदि कर्मचारी को अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- iv चयनित अभ्यर्थी को सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- v अगर विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि उसके एक से अधिक पति नहीं है।
- vi भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।
- vii अभ्यर्थी को चपड़ासी के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां व सचरित्रता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जोकि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, भी प्रस्तुत करना होगा।
- viii यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुईं तो उन्हें किसी भी समय, बिना किसी भुगतान के, सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्रवाई जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।
- ix यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त इत्यादि के सत्यापन पर भी निर्भर करेगी।
- x उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवाएं सरकार की प्रचलित दैनिक वेतन भोगी नीति के अधीन नियन्त्रित होंगी।
- xi इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

यदि उक्त चयनित अभ्यथी को ऊपरवर्णित निबन्धन एवं शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वह इन आदर्शों के जारी होने से 21 दिनों के भीतर दर्शाए गए कार्यालय में चपड़ासी के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त यह नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे तथा पैनल में रखे गए अगले चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति की पेशकश प्रदान कर दी जाएगी।

आदेश से,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-49
प्रतिलिपि प्रेषित है:-

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), लाहौल-स्पिति स्थित केलंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह उक्त अभ्यर्थी द्वारा चपड़ासी के पद का कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना इस विभाग को भेजें। उक्त कर्मचारी का वेतन लेखा शीर्ष "2015-निर्वाचन (गैर योजना) दत्तमत-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उनके कर्मचारी वर्ग पर व्यय के मानक "मजदूरी" के अधीन ऊपरवर्णित कार्यालय हेतु स्वीकृत चपड़ासी के पद के विपरीत आहरित किया जाएगा।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को उनके पत्र संख्या: SEC(F)1-20/2020-206, दिनांक 04-01-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. जिला कोषाधिकारी, केलंग, जिला लाहौल-स्पिति को सूचनार्थ।
4. उक्त अभ्यर्थी को उनके ऊपरवर्णित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचनार्थ।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

“मज़बूत लोकतन्त्र—सबकी भागीदारी”

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-50

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश

विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर Sh. Abhishekh Rana S/o Sh. Devender Singh R/o Village Sagnehad, Post Office Chuntra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, Himachal Pradesh-175032 को निर्वाचन विभाग में चपड़ासी के पद पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक दरों के अनुरूप दैनिक वेतन भोगी आधार पर (on daily wages) नियुक्ति की पेशकश (offer) प्रदान की जाती है। इस नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हें किन्नौर जिला संवर्ग अधीन के जिला निर्वाचन कार्यालय, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ में चपड़ासी के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापित किया जाता है।

इस नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी:-

- i विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला संवर्ग है। परिणामतः किन्नौर जिला संवर्ग में नियुक्ति के फलस्वरूप कर्मचारी का स्थानान्तरण किन्नौर जिला संवर्ग से किसी दूसरे जिला संवर्ग के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।
- ii यह नियुक्ति पूर्णतया कर्मचारी के कार्य एवं आचरण पर भी निर्भर करेगी। यदि सेवा के दौरान कर्मचारी का कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक एवं अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, तो उसे उसी समय सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
- iii यदि कर्मचारी को अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- iv चयनित अभ्यर्थी को सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- v अगर विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि उसके एक से अधिक पत्नियां नहीं हैं।
- vi भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।
- vii अभ्यर्थी को चपड़ासी के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां व सचरित्रता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जोकि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, भी प्रस्तुत करना होगा।
- viii यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुईं तो उन्हें किसी भी समय, बिना किसी भुगतान के, सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्रवाई जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।
- ix यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त इत्यादि के सत्यापन पर भी निर्भर करेगी।
- x उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवाएं सरकार की प्रचलित दैनिक वेतन भोगी नीति के अधीन नियन्त्रित होंगी।
- xi इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

यदि उक्त चयनित अभ्यर्थी को ऊपरवर्णित निबन्धन एवं शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वह इन आदर्शों के जारी होने से 21 दिनों के भीतर दर्शाए गए कार्यालय में चपड़ासी के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त यह नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे तथा पैनल में रखे गए अगले चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति की पेशकश प्रदान कर दी जाएगी।

आदेश से,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-50
प्रतिलिपि प्रेषित है:-

दिनांक: 12 जनवरी, 2021

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), किन्नौर स्थित रिकांगपिओ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह उक्त अभ्यर्थी द्वारा चपड़ासी के पद का कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना इस विभाग को भेजें। उक्त कर्मचारी का वेतन लेखा शीर्ष "2015-निर्वाचन (गैर योजना) दत्तमत-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उनके कर्मचारी वर्ग पर व्यय के मानक "मजदूरी" के अधीन ऊपरवर्णित कार्यालय हेतु स्वीकृत चपड़ासी के पद के विपरीत आहरित किया जाएगा।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को उनके पत्र संख्या: SEC(F)1-20/2020-206, दिनांक 04-01-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. जिला कोषाधिकारी, रिकांगपिओ, जिला किन्नौर को सूचनार्थ।
4. उक्त अभ्यर्थी को उनके ऊपरवर्णित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचनार्थ।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

“मजबूत लोकतन्त्र—सबकी भागीदारी”

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

संख्या: 5-6/2017-ईएलएन-51

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश

विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर Sh. Rohit Kumar S/o Sh. Murari Lal R/o VPO Kanda, Tehsil Karsog, District Mandi, HP-175010 को निर्वाचन विभाग में चौकीदार के पद पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक दरों के अनुरूप दैनिक वेतन भोगी आधार पर (on daily wages) नियुक्ति की पेशकश (offer) प्रदान की जाती है। इस नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हें सोलन जिला संवर्ग के अधीन जिला निर्वाचन कार्यालय, सोलन में चौकीदार के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापित किया जाता है।

इस नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी:-

- i विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला संवर्ग है। परिणामतः सोलन जिला संवर्ग में नियुक्ति के फलस्वरूप कर्मचारी का स्थानान्तरण सोलन जिला संवर्ग से किसी दूसरे जिला संवर्ग के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।
- ii यह नियुक्ति पूर्णतया कर्मचारी के कार्य एवं आचरण पर भी निर्भर करेगी। यदि सेवा के दौरान कर्मचारी का कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक एवं अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, तो उसे उसी समय सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
- iii यदि कर्मचारी को अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- iv चयनित अभ्यर्थी को सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- v अगर विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि उसके एक से अधिक पत्नियां नहीं हैं।
- vi भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।
- vii अभ्यर्थी को चौकीदार के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां व सचरित्रता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जोकि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, भी प्रस्तुत करना होगा।
- viii यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुईं तो उन्हें किसी भी समय, बिना किसी भुगतान के, सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्रवाई जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।
- ix यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त इत्यादि के सत्यापन पर भी निर्भर करेगी।
- x उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवाएं सरकार की प्रचलित दैनिक वेतन भोगी नीति के अधीन नियन्त्रित होंगी।
- xi इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

यदि उक्त चयनित अभ्यथी को ऊपरवर्णित निबन्धन एवं शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वह इन आदर्शों के जारी होने से 21 दिनों के भीतर दर्शाए गए कार्यालय में चौकीदार के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त यह नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे तथा पैनल में रखे गए अगले चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति की पेशकश प्रदान कर दी जाएगी।

आदेश से,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-51
प्रतिलिपि प्रेषित है:-

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), सोलन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह उक्त अभ्यर्थी द्वारा चौकीदार के पद का कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना इस विभाग को भेजें। उक्त कर्मचारी का वेतन लेखा शीर्ष "2015-निर्वाचन (गैर योजना) दत्तमत-102-निर्वाचन अधिकारी-01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उनके कर्मचारी वर्ग के मानक "मज़दूरी" के अधीन ऊपरवर्णित कार्यालय हेतु स्वीकृत चौकीदार के पद के विपरीत आहरित किया जाएगा।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को उनके पत्र संख्या: SEC(F)1-20/2020-206, दिनांक 04-01-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. जिला कोषाधिकारी, सोलन को सूचनार्थ।
4. उक्त अभ्यर्थी को उनके ऊपरवर्णित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचनार्थ।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

“मजबूत लोकतन्त्र—सबकी भागीदारी”

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-52

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश

विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर Miss Reema Sharma D/o Sh. Ramesh Chand Sharma R/o VPO Dhakriana, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh-173236 को निर्वाचन विभाग में चपड़ासी के पद पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक दरों के अनुरूप दैनिक वेतन भोगी आधार पर (on daily wages) नियुक्ति की पेशकश (offer) प्रदान की जाती है। इस नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हें सिरमौर जिला संवर्ग के अधीन उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, पांवटा साहिब में चपड़ासी के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापित किया जाता है।

इस नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी:-

- i विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला संवर्ग है। परिणामतः सिरमौर जिला संवर्ग में नियुक्ति के फलस्वरूप कर्मचारी का स्थानान्तरण सिरमौर जिला संवर्ग से किसी दूसरे जिला संवर्ग के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।
- ii यह नियुक्ति पूर्णतया कर्मचारी के कार्य एवं आचरण पर भी निर्भर करेगी। यदि सेवा के दौरान कर्मचारी का कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक एवं अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, तो उसे उसी समय सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
- iii यदि कर्मचारी को अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- iv चयनित अभ्यर्थी को सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- v अगर विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि उसके एक से अधिक पति नहीं है।
- vi भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।
- vii अभ्यर्थी को चपड़ासी के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां व सचरित्रता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जोकि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, भी प्रस्तुत करना होगा।
- viii यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुईं तो उन्हें किसी भी समय, बिना किसी भुगतान के, सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्रवाई जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।
- ix यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त इत्यादि के सत्यापन पर भी निर्भर करेगी।
- x उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवाएं सरकार की प्रचलित दैनिक वेतन भोगी नीति के अधीन नियन्त्रित होंगी।
- xi इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

यदि उक्त चयनित अभ्यथी को ऊपरवर्णित निबन्धन एवं शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वह इन आदर्शों के जारी होने से 21 दिनों के भीतर दर्शाए गए कार्यालय में चपड़ासी के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त यह नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे तथा पैन्ल में रखे गए अगले चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति की पेशकश प्रदान कर दी जाएगी।

आदेश से,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-52
प्रतिलिपि प्रेषित है:-

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), सिरमौर स्थित नाहन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह उक्त अभ्यर्थी द्वारा चपड़ासी के पद का कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना इस विभाग को भेजें। उक्त कर्मचारी का वेतन लेखा शीर्ष "2015-निर्वाचन (गैर योजना) दत्तमत-102-निर्वाचन अधिकारी-01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उनके कर्मचारी वर्ग के मानक "मज़दूरी" के अधीन ऊपरवर्णित कार्यालय हेतु स्वीकृत चपड़ासी के पद के विपरीत आहरित किया जाएगा।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को उनके पत्र संख्या: SEC(F)1-20/2020-206, दिनांक 04-01-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप मण्डलाधिकारी(नागरिक), पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को सूचनार्थ एवं तत्सम कार्रवाई हेतु।
4. जिला कोषाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर को सूचनार्थ।
5. उक्त अभ्यर्थी को उनके ऊपरवर्णित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचनार्थ।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

“मजबूत लोकतन्त्र—सबकी भागीदारी”

**निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009**

संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-53

दिनांक:

12 जनवरी, 2021

कार्यालय आदेश

विभागीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर Sh. Dheeraj Kumar S/o Sh.Ravi Dutt R/o Village Ropa, Post Office Bhager, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh-174021 को निर्वाचन विभाग में चौकीदार के पद पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक दरों के अनुरूप दैनिक वेतन भोगी आधार पर (on daily wages) नियुक्ति की पेशकश (offer) प्रदान की जाती है। इस नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हें बिलासपुर जिला संवर्ग के अधीन जिला निर्वाचन कार्यालय, बिलासपुर में चौकीदार के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापित किया जाता है।

इस नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी:-

- i विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला संवर्ग है। परिणामतः बिलासपुर जिला संवर्ग में नियुक्ति के फलस्वरूप कर्मचारी का स्थानान्तरण बिलासपुर जिला संवर्ग से किसी दूसरे जिला संवर्ग के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।
- ii यह नियुक्ति पूर्णतया कर्मचारी के कार्य एवं आचरण पर भी निर्भर करेगी। यदि सेवा के दौरान कर्मचारी का कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक एवं अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, तो उसे उसी समय सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।
- iii यदि कर्मचारी को अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- iv चयनित अभ्यर्थी को सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- v अगर विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि उसके एक से अधिक पत्नियां नहीं हैं।
- vi भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।
- vii अभ्यर्थी को चौकीदार के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां व सचरित्रता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जोकि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, भी प्रस्तुत करना होगा।
- viii यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुईं तो उन्हें किसी भी समय, बिना किसी भुगतान के, सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्रवाई जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।
- ix यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त इत्यादि के सत्यापन पर भी निर्भर करेगी।
- x उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवाएं सरकार की प्रचलित दैनिक वेतन भोगी नीति के अधीन नियन्त्रित होंगी।
- xi इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

यदि उक्त चयनित अभ्यथी को ऊपरवर्णित निबन्धन एवं शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वह इन आदर्शों के जारी होने से 21 दिनों के भीतर दर्शाए गए कार्यालय में चौकीदार के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त यह नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे तथा पैनल में रखे गए अगले चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति की पेशकश प्रदान कर दी जाएगी।

आदेश से,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: 5-6/2017-ईएलएन.-53
प्रतिलिपि प्रेषित है:-

दिनांक: 12 जनवरी, 2021

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह उक्त अभ्यर्थी द्वारा चौकीदार के पद का कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना इस विभाग को भेजें। उक्त कर्मचारी का वेतन लेखा शीर्ष "2015-निर्वाचन (गैर योजना) दत्तमत-102-निर्वाचन अधिकारी-01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उनके कर्मचारी वर्ग के मानक "मजदूरी" के अधीन ऊपरवर्णित कार्यालय हेतु स्वीकृत चौकीदार के पद के विपरीत आहरित किया जाएगा।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को उनके पत्र संख्या: SEC(F)1-20/2020-206, दिनांक 04-01-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. जिला कोषाधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. उक्त अभ्यर्थी को उनके ऊपरवर्णित पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचनार्थ।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।